Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Deficit Stamp Appeal No.- 40/2019

Smt. Manju Devi ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत स्टाम्प अपील वाद न्यायालय, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–190 दिनांक–31.05.2019 में भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47A के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। **उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी द्वारा Indian Stamp Act की धारा–47A(6) के अंतर्गत कुल कमी मुद्रांक का 50% राशि Indian Non Judicial Government of Bihar e-stamp Certificate No.- IN-BR-2300114696 दिनांक–22.05.2023 द्वारा जमा की गई है।** अपीलार्थी को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–मरोचा उजियारपुर, थाना सं0–248, अंचल–कसबा, खाता सं0–48, 96 खेसरा सं0–334, 316 रकवा–156.500 डी0 भूमि मो0–39,15,000/– रूपये मूल्यांकन देकर निष्पादित कराया गया है। जिला अवर निबंधक, पूर्णिया द्वारा उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक–118 दिनांक–11.01.2019 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उक्त संपत्ति का कुल मूल्य मो0–2,34,75,000/– रूपये पर कमी मुद्रांक शुल्क मो0–14,94,375/– रूपये की वसूली प्रस्तावित है। क्रेता द्वारा पूर्व में दिये गये मूल्य मो0–39,15,000/– रूपये घटाने के पश्चात् कमी मूल्य मो0–1,95,60,000/– रूपये पर प्रभार्य कमी मुद्रांक मो0–15,64,800/– रूपये जमा करने का सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा आदेश पारित किया गया है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तुत मामले का विचारण सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के क्षेत्राधिकार से परे है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी अपीलार्थी के कथनों का समर्थन किया गया है।	

Web copy. Not Official.

	लगातार 29.11.2023	अतः उपर्युक्त के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश को क्षेत्राधिकार से परे एवं विधि विरूद्ध पाते हुए निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत मामले के गुण–दोष (Merit) पर बिना विचार किये Indian Stamp Act की धारा 47A(3) "The Collector may suo motu क्रमशः within two years from the date of registration of such instrument not already referred to him under sub-section (1), call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of the market value of the property which is the subject matter of such instrument and the duty payable thereon and if, after such examination, he has reason to believe that the market value of such property, has not been rightly set forth in the instruement, [1][or is less than even the minimum value determined in accordance with any rules made under this Act] he may determine the market value of such property and the duty as aforesaid in accordance with the procedure provided for in sub-section (2). The difference, if any, in the amount of duty, shall be payable by the person liable to pay the duty:" के अंतर्गत समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए विधिसम्मत् मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करने हेतु विप्रेषित (Remand) किया जाता है। **अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 47A(6) के अंतर्गत जमा की गई 50% राशि समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश के आलोक में विमुक्त/समायोजित की जायेगी।** इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को भेजते हुए आदेश की प्रति समाहर्त्ता, पूर्णिया सहित जिला अवर निबंधक, पूर्णिया को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy Not Official.

Web Copy. Not Official.